रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-09122024-259266
CG-HR-E-09122024-259266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 967] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024/अग्रहायण 12, 1946
No. 967] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2024/AGRAHAYANA 12, 1946

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

अधिसूचना

कुरुक्षेत्र, 25 नवम्बर , 2024

फा.सं. एनआईडीएच/जीए/06/05/22-23.- संस्थान की सिनेट, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 31 के साथ पठित धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा के लिए निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा अध्यादेश, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) 'शैक्षिक' से शिक्षा से संबंधित क्रियाकलाप जैसे शिक्षण, अध्ययन, अभ्यास, अनुसंधान और प्रकाशन अभिप्रेत है;

(ग) ' शैक्षिक कैलेंडर' से शैक्षणिक क्रियाकलापों के कार्यक्रम अभिप्रेत है;

(घ) 'शैक्षिक मैनुअल' से अकादमिक मामलों से संबंधित नियमों, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धातों के संकलन अभिप्रेत है।

(ङ) 'शैक्षिक कार्यक्रम' में शैक्षणिक क्रियाकलापों के अनुक्रम सम्मिलित हैं; जिसके परिणामस्वरूप डिग्री, डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है;

(च) 'शैक्षिक वर्ष' से ग्रीष्मावकाश और शीतकालीन अवकाश सहित दो नियमित सेमेस्टर अभिप्रेत है।

(छ) 'निर्धारण' से विशिष्ट अध्ययन उद्देश्यों के संबंध में छात्रों के अध्ययन और कार्यनिष्पादन के साक्ष्य एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने तथा उनकी व्याख्या करने की निरंतर प्रक्रिया अभिप्रेत है तथा यह विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करके रचनात्मक और योगात्मक निर्धारण के रूप में हो सकता है;

(ज) 'बैचमेट' से ऐसे छात्र अभिप्रेत हैं, जो उसी वर्ष समान प्रवेश परीक्षा पास करके संस्थान के अध्ययन पाठ्यक्रम से जुड़े हैं।

(झ) 'अभ्यर्थी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संस्थान के किसी भी स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर, डॉक्टोरल, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता है;

(ञ) 'प्रमाण-पत्र' से सिनेट द्वारा यथाअनुमोदित संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक वर्ष तक की अवधि का कोई शैक्षणिक कार्यक्रम अभिप्रेत है;

(ट) 'दीक्षांत' से संस्थान के दीक्षांत समारोह अभिप्रेत है;

(ठ) 'पाठ्यक्रम' में विषयों का ऐसा क्रम सम्मिलित है, जो एक सेमेस्टर के दौरान पूरे किए जा सकते हैं;

(ड) 'कार्यक्रम की पाठ्यचर्या' से पाठ्यक्रमों का समूह और अन्य शैक्षणिक क्रियाकलाप अभिप्रेत है;

(ढ) 'डिग्री' से संस्थान के कोई स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रम, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम और डॉक्टोरल डिग्री कार्यक्रम अभिप्रेत है;

(ण) 'ऐच्छिक' से विशेषज्ञ क्षेत्र के विकल्पों में से प्रस्तावित विषय अभिप्रेत है;

(त) 'परीक्षा' से छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(थ) 'श्रेणी' (ग्रेड) से एक अक्षर से दर्शाए जाने वाली श्रेणी अभिप्रेत है जो एक पाठ्यक्रम या सेमेस्टर या वर्ष या कार्यक्रम में एक छात्र के समग्र प्रदर्शन को इंगित करती हैं;

(द) 'जूरी' अथवा 'जूरी पैनल' से किसी सेमेस्टर के दौरान या उसके अंत में छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए संकाय या बाहरी विशेषज्ञों का पैनल अभिप्रेत है;

(ध) 'छात्र' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो यथास्थिति, डॉक्टोरल या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकपूर्व डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत है तथा इसमें संस्थान के पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं;

(न) 'पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने' से संस्थान के छात्रों द्वारा अपेक्षित परीक्षा, जूरी को उत्तीर्ण करके तथा अपेक्षित क्रेडिट और ग्रेड को प्राप्त करना अभिप्रेत है।

(प) 'विद्याशाखा' से किसी विशेष विषय के अधीन संस्थान द्वारा कराए जाने वाले अध्ययन और अनुसंधान से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों की शाखा अभिप्रेत है;

(फ) 'मूल्यांकन' से किसी छात्र के समग्र प्रदर्शन की प्रभाविता और गुणवत्ता का विश्लेषण करने और उस मात्रा का मापना अभिप्रेत है जहां तक छात्र ने किसी पाठ्यक्रम अथवा एक से अधिक पाठ्यक्रमों के वांछनीय अध्ययन परिणामों को प्राप्त किया है तथा उन्हें दिए गए पैमाने पर दर्शाना है;

(ब) 'संकाय के विषय' से संस्थान की ऐसी शैक्षिक इकाई अभिप्रेत है, जो डिजाइन, अनुसंधान और विकास तथा अनेक डिजाइन विधाओं जैसी परामर्शी सेवाओं अकादमिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो अध्यादेश में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम या परिनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम और परिनियमों में है।

(3) यदि इन अध्यादेशों में प्रयुक्त या परिभाषित शब्दों और पदों तथा संविधि या अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित शब्दों या पदों में अंतर होता है, तो संविधि या अधिनियम के संबंधित उपबंध मान्य होंगे।

3. संस्थान का शैक्षणिक दर्शन : (1) सभी अध्यापन पाठ्यक्रमों हेतु संस्थान द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम संरचना, पाठ्य विवरण और शिक्षण या शिक्षण कार्यक्रमों अथवा पद्धतियों के लिए रीतियों में अभिनव सिद्धांत, अनुसंधान और कौशल की औचित्यपूर्ण, तार्किक और क्रमिक अध्ययन प्रक्रिया सम्मिलित होगी, जिसमें डिजाइन समस्याओं के लिए बहु-समाधान के दृष्टिकोण, विश्लेषण और दृश्यपरकता की व्यवहारिक और सैद्धांतिक अवधारणा, डिजाइन परियोजनाओं के लाइव एक्सपोजर और फील्ड अनुभव पर बल दिया गया है, जिसका लक्ष्य निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करना है, अर्थात्: -

(क) स्वतंत्र और समग्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना;

(ख) रचनात्मक अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से अभिनवीकरण एवं ज्ञानार्जन;

(ग) सांस्कृतिक विविधता के प्रति संवेदनशीलता और समझ विकसित करना;

(घ) समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की उपयुक्तता विकसित करना;

(ड) अनुभवात्मक और प्रतिपादक शिक्षण के लिए अवसरों का एकीकरण करना;

(च) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रणनीतिक डिज़ाइन कार्यक्रम के संदर्भ में पर्यावरण, तकनीकी और सामाजिक नीति संबंधी मुद्दों के साथ डिज़ाइन शिक्षण को सुदृढ़ तथा एकीकृत बनाना;

(छ) जैव विविधता, संस्कृति और शिल्प की विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करना;

(ज) डिज़ाइन आधारित अनुसंधान के लिए अवसर उत्पन्न करना;

(झ) डिजाइन के क्षेत्र में नेतृत्व और प्रबंधन के लिए अवसर उपलब्ध कराना;

(ञ) समाज के हित के लिए डिजाइन की क्षमता का प्रसार करना और

(ट) शैक्षिक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और विविधता के साथ नैतिक मानकों को बनाए रखना तथा इन मूल्यों को शिक्षण पद्धति में सम्मिलित करना, जो वर्तमान और भविष्य के कार्यों को निर्धारित करेंगे।

(2) संस्थान द्वारा प्रस्तावित सभी शिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए चलाए जाएंगे, अर्थात्: -

(क) व्यवहार्य उत्पादों और सेवाओं के लिए संस्कृति अंतरण हेतु डिज़ाइन के प्रति एक अंतर-विषयक दृष्टिकोण;

(ख) अनुभव के माध्यम से मजबूत कौशल आधार विकसित करना;

(ग) संरचनाबद्ध इंटर्नशिप और डिज़ाइन परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक जीवन से जुड़ी प्रोफेशनल स्थितियों के लिए अवसर, डिज़ाइन की प्रक्रिया और विभिन्न डिज़ाइन विधाओं के अनुप्रयोग के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि;

(घ) डिज़ाइन के सामाजिक और नैतिक आयामों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना;

(ङ) मूल्य आधारित और सामाजिक रूप से सुसंगत डिज़ाइन, और

(च) डिज़ाइन शिक्षा और व्यवहार में वैश्विक दृष्टिकोण।

(3) संस्थान के शैक्षिक कार्यक्रम की समग्र संरचना निम्नलिखित का संयोजन होगी –

(क) अनुभव के साथ सिद्धांत, कौशल, डिज़ाइन परियोजना और फील्ड का अनुभव;

(ख) उद्योग और बाजार की आवश्यकता के संबंध में हितधारकों के फीडबैक;

(ग) अत्याधुनिक डिज़ाइन स्टूडियो, कौशल और अभिनव प्रयोगशालाएं;

(घ) संसाधन केंद्र, और ऐसी अन्य संबंधित अवसंरचनागत सुविधाएं;

(ड.) बौद्धिक संसाधन।

4. कार्यक्रम – (1) संस्थान राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा संविधि के 'संकाय के विषय' शीर्षक के अधीन उल्लिखित विभिन्न डिजाइन विधाओं में स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर अथवा डॉक्टोरल स्तर पर डिग्री अथवा डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

(2) ये पाठ्यक्रम, क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा) के अनुमोदन के अनुसार ऑनलाइन अथवा हाइब्रिड मोड में भी आयोजित किए जा सकते हैं तथा पूर्णकालिक ऑन कैंपस कार्यक्रम के लिए, ऑनलाइन मोड में एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान अर्जित किए जाने वाले अधिकतम क्रेडिट को सिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कार्यक्रम की अपेक्षा के अनुसार, पाठ्यक्रम सिनेट द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पोर्टल से भी किए जा सकते हैं।

5. कार्यक्रमों की अवधि. – (1) स्नातकपूर्व कार्यक्रमों (बैचलर ऑफ डिजाइन) में आठ सेमेस्टर होंगे, जो दो सेमेस्टर के समान फाउंडेशन कार्यक्रम के साथ शुरू होंगे और उसके बाद संकाय के विषय या विशेष विषयों में छ: सेमेस्टर होंगे, जिनमें से अंतिम सेमेस्टर में स्नातक परियोजना सम्मिलित होगी।

(2) अभ्यर्थी के लिए संस्थान में प्रवेश के वर्ष से छ: वर्षों के भीतर बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम पूरा करना अपेक्षित है।

(3) छात्र को समस्त अध्ययन अवधि के दौरान केवल एक बार शैक्षिक अवकाश लेने की अनुमति होगी, जिस दौरान छात्र द्वारा संस्थान के किसी भी संसाधन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(4) इन अध्यादेशों की अधिसूचना से पहले संस्थान के बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए कार्यक्रम की अधिकतम अवधि उनके प्रवेश के समय लागू प्रावधान के अनुसार होगी।

(5) पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रमों (मास्टर ऑफ डिजाइन) की अवधि संकाय विषयों अथवा विशेषज्ञ विधाओं में चार सेमेस्टर की होगी, जिनमें से अंतिम सेमेस्टर में स्नातक परियोजना सम्मिलित होगी।

(6) अंशकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम की अवधि तथा माध्यम सिनेट और शासी परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित होगा और इसमें स्नातक परियोजना सम्मिलित होगी।

6. बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता – (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से किसी विषय (विज्ञान, कला, वाणिज्य, मानविकी, आदि) में हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(2) ऐसे अभ्यर्थी, जो पात्रता परीक्षा में बैठे हों और जिनका परिणाम प्रवेश के लिए आवेदन करते समय घोषित नहीं किया गया हो, वे भी बैचलर ऑफ डिज़ाइन कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि चयनित होते हैं, तो उन्हें अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा और उनके द्वारा संस्थान द्वारा यथानिर्धारित तारीख तक या उससे पूर्व पात्रता परीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

7. मास्टर ऑफ डिजाइन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता –

(1) संस्थान द्वारा प्रस्तावित विभिन्न मास्टर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए सिनेट तथा संस्थान द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित संगत क्षेत्र में बैचलर डिग्री या समकक्ष का होना अनिवार्य है।

(2) ऐसे अभ्यर्थी, जो पात्रता परीक्षा में बैठे हों और जिनका परिणाम मास्टर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय घोषित नहीं किया गया हो वे भी मास्टर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि चयनित होते हैं तो उन्हें अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें संस्थान द्वारा यथानिर्धारित तारीख तक या उससे पहले पात्रता परीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

8. प्रवेश अधिसूचना –

(1) शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की सूचना प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर और संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(2) प्रवेश की अधिसूचना में शैक्षिक कार्यक्रमों का ब्यौरा, प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या, कार्यक्रम की अवधि, प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता, आयु-सीमा, प्रवेश परीक्षा केंद्र का स्थान तथा अन्य सूचनाएं सम्मिलित होंगी।

(3) संस्थान, भावी छात्रों के संदर्भ के लिए प्रवेश विवरणिका सूचना भी उपलब्ध कराएगा, ऐसी विवरणिका में पाठ्यक्रम कार्यक्रम की संरचना, प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड, आरक्षण नीति, विभिन्न वर्गों के अधीन सीटों का आबंटन, कार्यक्रम की अवधि, फीस संरचना तथा ऐसी अन्य जानकारी सम्मिलित होगी।

9. प्रवेश परीक्षा – (1) संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल कार्यक्रम स्तर पर उपलब्ध कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।

(2) संस्थान, प्रवेश परीक्षा स्कोर के माध्यम से प्रवेश हेतु छात्रों के चयन के लिए शाषी परिषद के अनुमोदन के साथ किसी संकाय या सामान्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित कर सकेगा।

10. सीटों का आरक्षण – संस्थान, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित सुसंगत नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

11. विदेशी छात्रों को प्रवेश – विदेशी छात्रों के लिए बैचलर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन तथा डॉक्टोरल कार्यक्रमों में अधिसंख्य आधार पर पंद्रह प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी ।

परंतु ऐसे कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विदेशी छात्रों के लिए भी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा सीनेट के पूर्व अनुमोदन के साथ प्रवेश पुस्तिका में स्थापित परिभाषित मानदंड के अनुसार प्रवेश के लिए प्राप्त होंगे।

12. प्रवेश समिति और प्रवेश प्रकोष्ठ – (1) निदेशक द्वारा प्रवेश समिति और प्रवेश प्रकोष्ठ का सम्यक् रूप से गठन किया जाएगा।

(2) प्रवेश समिति सिनेट के पूर्वानुमोदन से प्रवेश परीक्षा के लिए मानक और प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

(3) प्रवेश प्रकोष्ठ, उपपैरा (2) में निर्दिष्ट मानकों, प्रक्रियाओं और मानदंडों को कार्यान्वित करेगा।

13. छात्रों का नामांकन – (1) सभी छात्र जिनको संस्थान के किसी कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा में यथापेक्षित शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को शैक्षणिक कार्यालय में जमा कराना होगा, ऐसा न करने पर उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

(2) सभी छात्र, जिन्हें संस्थान के किसी कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

(3) शुल्क और अन्य राशि का भुगतान करने तथा सभी आज्ञापक दस्तावेज का सत्यापन करने के पश्चात संस्थान छात्र को एक नामांकन संख्या प्रदान करेगा।

(4) उक्त नामांकन संख्या, संबंधित छात्र के लिए संस्थान के सभी अभिलेखों में स्थायी संदर्भ संख्या होगी।

(5) बैचलर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन अथवा डॉक्टोरल कार्यक्रमों के लिए प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण तारीख, सामान्यतया छात्र द्वारा औपचारिक रूप से शुल्क के भुगतान की तारीख होगी, जिसे कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रयोजनों के लिए प्रवेश की तारीख माना जाएगा।

(6) अभ्यर्थिता की अवधि के दौरान, किसी छात्र के नामांकन को, संस्थान के अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार, अनुशासनात्मक आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

14. **अध्यापन और अन्य फीस तथा जमा राशि -** निर्धारित अध्यापन फीस, अन्य शुल्क तथा मेस प्रभार को छोड़कर जमा राशि जैसा कि शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है, सभी छात्रों द्वारा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष या सेमेस्टर के आरंभ में देय होगा जैसा कि संस्थान द्वारा अधिसूचित किया गया है।

15. छात्रों की उपस्थिति, अनुपस्थिति और अवकाशः (1) पाठ्यक्रम मूल्यांकन, सेमस्टर की समाप्ति पर जूरी हेतु पात्र होने के लिए प्रत्येक छात्र के लिए सभी व्याख्यान, ट्यूटोरियल; स्टूडियो कार्य; कार्यशाला अभ्यास सत्रों; फील्ड वर्क; सेमिनार और इस तरह के अन्य इंटरफेस में न्यूनतम उपस्थिति अपेक्षित होगी, जैसा कि समय-समय पर सिनेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(2) चिकित्सा कारणों को छोड़कर, किसी अन्य छुट्टी अथवा अनुपस्थिति के लिए विधाशाखा प्रमुख से पूर्वानुमोदन लेना होगा।

(3) अनुमोदित अवकाश, यदि कोई हो, सहित न्यूनतम अपेक्षा उपस्थिति वाले छात्रों ही सेमेस्टर के अंत में जूरी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए पात्र होंगे।

16. छात्रों का अनुशासन और आचरण – (1) सभी छात्रों को संस्थान के भीतर एवं बाहर अनुशासन का पालन करते हुए मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है और वे ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होंगे, जो संस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती हैं।

(2) प्रत्येक छात्र अकादमिक मैनुअल/छात्र पुस्तिका में निर्धारित आचार संहिता का पालन करेगा।

(3) किसी छात्र द्वारा अनुशासनहीनता के संबंध में, संबंधित मैनुअल और पुस्तिका में निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

17. शैक्षिक कैलेंडर – संस्थान के परिसरों के डीन और विधा प्रमुखों के परामर्श से क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले, संस्थान और उसके परिसर के शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के शैक्षिक कैलेंडर को तैयार करेगा और अंतिम रूप देगा।

18. फाउंडेशन प्रोग्राम – (1) बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम, एक वर्ष के समान फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ शुरू होगा।

(2) फाउंडेशन प्रोग्राम आवश्यक दिशा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें प्रेरित करेगा और उन्हें सुविधाएं एवं अनुभव भी प्रदान करेगा जिससे उनकी रचनात्मकता एवं डिजाइन संबंधी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।

(3) बैचलर ऑफ डिजाइन पाठ्यक्रमों में छात्र को सामान्य फाउंडेशन प्रोग्राम के अंत में प्रत्येक विधा में निर्धारित सीटों की संख्या के लिए विषय के विकल्प अथवा उप-विषय के विकल्प का आबंटन उनकी मेरिट-सह-विकल्प के आधार पर किया जाएगा।

19. छात्रों के अभिलेख का रखरखाव रखना - (1) रजिस्ट्रार संबंधित कैंपस में शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रिकॉर्ड अभिलेख और ऐसी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। व्यक्तिगत अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः-

(क) प्रवेश के समय छात्र द्वारा भरी गई व्यक्तिगत जानकारी;

(ख) माता-पिता और स्थानीय अभिभावक के बारे में जानकारी;

(ग) प्रवेश के समय प्रस्तुत की गई चिकित्सकीय जानकारी और फिटनेस प्रमाण-पत्र;

(घ) छात्र द्वारा प्रस्तुत की गई सभी वचनबद्धताएं;

(ङ) छात्र को जारी किए गए किसी चेतावनी-पत्र या ज्ञापन आदि की प्रति;

(च) छात्र / पिता / अभिभावक के साथ पत्राचार, यदि कोई हो;

(छ) सभी मूल्यांकन ग्रेड शीट्स, छात्रों को जारी शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट और अन्य प्रमाणपत्र या पत्रों की प्रति;

(ज) फीस के भुगतान सहित छात्रावास में प्रवेश के रिकार्ड; और

(झ) संस्थान की फीस के भुगतान का रिकार्ड और छात्रों के अध्ययन एवं कैम्पस लाइफ से संबंधित अन्य सभी जानकारी।

20. परीक्षाओं का संचालन: (1) संस्थान द्वारा सेमेस्टर के दौरान और अंत में, छात्रों के लिए संस्थान में जूरी द्वारा आयोजित क्रेडिट आधारित मूल्यांकन और निर्धारण प्रणाली की निम्नानुसार व्यवस्था की जाएगीः-

(क) क्रेडिट्स आधारित मूल्यांकन प्रणाली, जिसमें क्रेडिट इकाइयों के बीच सह-संबंध, साप्ताहिक इकाई और घंटे प्रति सप्ताह के आधार पर समरूपी अध्ययन का भार सम्मिलित हैं;

(ख) अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम को क्रेडिट प्रदान किया गया है, जिसमें स्वत: अध्ययन क्रेडिट स्कोर सम्मिलित है;

(ग) सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर क्रियाकलाप के लिए प्रदान किया गया क्रेडिट;

(घ) ग्रेडिंग स्केल सहित ग्रेडिंग प्रणाली;

(ङ) शैक्षणिक मूल्यांकन के घटक, पाठ्यक्रम संबंधी कार्य और जूरी सहित;

(च) किसी भी पाठ्यक्रम के मूल्यांकन और निर्धारण के मानक और चरण जैसे प्रत्येक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सेमेस्टर के अंत में जूरी द्वारा निर्धारण और डिजाइन परियोजना आकलन;

(छ) अगले सेमेस्टर या वर्ष के लिए छात्र की प्रोन्नति को शासित करने वाली पूर्व अपेक्षाएं; और

(ज) इस प्रकार के अन्य मानदण्ड, जैसा कि संस्थान द्वारा अधिसूचित किया जाएं;

(2) अध्ययन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को अलग-अलग पाठ्यक्रम स्तर, सेमेस्टर स्तर, वार्षिक ग्रेड प्वाइंट स्तर और स्नातक परियोजना स्तर पर क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करना होगा।

(3) इन अध्यादेशों के लागू होने की तारीख से स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु, क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों को लागू किया जाना तब तक विधिमान्य होगा तथा क्रमश: बैचलर ऑफ डिजाइन तथा मास्टर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम के अधीन इस प्रयोजन के लिए लागू होंगे जब तक कि शैक्षिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर सिनेट द्वारा क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों को तैयार और लागू नहीं कर दिया जाता।

21. बैचलर ऑफ डिजाइन (स्नातकपूर्व डिग्री), मास्टर ऑफ डिजाइन (स्नातकोत्तर डिग्री) प्रदान करना - संस्थान अपेक्षित अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा कर चुके छात्रों को तथा स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों को क्रमशः बैचलर ऑफ डिजाइन तथा मास्टर ऑफ डिजाइन की डिग्री प्रदान करेगा।

22. बैचलर ऑफ डिजाइन डिग्री - छात्रों के बैच के लिए, जिन्हें दूसरे वर्ष से एक उप-विषय सौंपा गया है, उन्हें छात्रों को दूसरे वर्ष से सौंपे गए विषय में मेजर के साथ बैचलर ऑफ डिज़ाइन की डिग्री और दूसरे वर्ष से छात्र को सौंपे गए उप-

विषय में माइनर के साथ डिग्री प्रदान की जाएगी। फाउंडेशन प्रोग्राम के समान पाठ्यक्रमों और तीसरे से सातवें सेमेस्टर के अन्य समान पाठ्यक्रमों के अलावा, छात्र को उस उप-विषय में माइनर के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए उप-विषय में न्यूनतम दस क्रेडिट अर्जित करने होंगे।

23. स्नातक डिजाइन परियोजना – प्रत्येक छात्र संबंधित कार्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में डिजाइन परियोजना बनाएगा तथा डिजाइन के स्वतंत्र पेशेवर के रूप में अपनी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करेगा।

24. पुरस्कार और छात्रवृत्ति अनुदान - इस अध्यादेश से पहले संस्थान द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले पुरस्कार और छात्रवृत्ति अनुदान जारी रहेंगे और बाद में, छात्रों के लिए पुरस्कार और छात्रवृत्ति अनुदान सिनेट के अनुमोदन और उसके बाद शासी परिषद के वित्तीय अनुमोदन (यदि कोई हो) से दिए जाएंगे।

25. शिकायत निवारण समिति - (1) शिक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए निदेशक द्वारा अकादमिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा।

(2) समिति में कम से कम तीन सदस्य, निदेशक द्वारा संकाय से नामांकित होंगे;

(3) ऐसे संकाय सदस्य, जिनके विरुद्ध कोई शिकायत होगी, उन्हें ऐसी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा।

(4) शैक्षिक मामलों से संबंधित किसी भी शिकायत को पहले क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा) को प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित विधाशाखा प्रमुख या संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करके शिकायत को हल करेगा, समाधान ना होने पर शिकायत को शैक्षिक शिकायत निवारण समिति को सौंपा जाएगा।

(5) शिकायत निवारण समिति क्रियाकलाप अध्यक्ष को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(6) शिकायत निवारण समिति की सिफारिशों को संबंधित छात्र को शिकायत दर्ज करने के एक माह के भीतर सूचित किया जाएगा।

26. आपात मामले – निदेशक द्वारा, आकस्मिक स्थितियों में, किसी शैक्षिक मामले में, ऐसी कार्यवाही करने के लिए अभिलिखित कारणों हेतु जैसा वह उचित समझे और रिपोर्ट करेगा, तथा ऐसी सभी कार्यवाहिया सीनेट के अनुमोदन के लिए अगली बैठक में सीनेट के समक्ष लाया जाएगा।

रमणीक कौर मजीठिया, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./736/2024-25]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA

NOTIFICATION

Kurukshetra, the 25th November, 2024

F. No. NIDH/GA/06/05/22-23.—In exercise of the powers conferred under section 30 read with section 31 of the National Institute of Design Act 2014 (18 of 2014), the Senate of the Institute hereby makes following Ordinances for the National Institute of Design, Haryana namely: -

1. **Short title and commencement. –** (1) These Ordinances may be called the National Institute of Design, Haryana Ordinances, 2024.

   (2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. –** (1)In these Ordinances, unless the context otherwise require–

   (a) "Act" means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);

   (b) "academic" means the activities concerned with educationties like teaching, learning, practising research and publications;

   (c) "academic calendar" means the schedule of activities related to academics;

(d) "academic manual" means the compilation of rules, regulations and guidelines for academic matters;

(e) "academic programme" includes the sequence of academic activities leading to a degree, a diploma or a

certificate;

(f) "academic year" means two regular semester along with a summer and winter break;

(g) "assessment" means the continuous process of collecting, analysing, and interpreting evidence of students' learning and performance in relation to specific learning objectives and criteria and it can be in the form of formative or summative assessment using various methods;

(h) "batchmate" means student who has joined the courses of studies of the Institute after qualifying the same entrance test in any particular year;

(i) "candidate" means an individual who applies for admission to any undergraduate, postgraduate, doctoral, diploma or certificate programme of the Institute;

(j) "certificate" means any academic programme offered by the Institute up to one year duration as approved by the Senate;

(k) "convocation" means the convocation of the Institute;

(l) "course" includes a sequence of topics which can be covered during a semester;

(m) "curriculum of a programme" means a set of courses and other academic activities;

(n) "degree" means any undergraduate degree programme, postgraduate degree programme and doctoral degree programme of the Institute;

(o) "elective" means the subject offered amongst options in specialised field;

(p) "examination" means any procedure used to evaluate the academic performance of a student;

(q) "grade" means a letter grade indicating the overall performance of a student in a course or semester or year or programme;

(r) "jury" or "jury panel" means a panel of faculty or external experts for evaluation of performance of students during and at the end of semester;

(s) "student" means a person registered for any doctoral degree or post graduate degree or undergraduate degree or diploma or certificate as the case may be, and includes a student registered for any programme in full-time or part-time mode of the Institute;

(t) "successful completion of courses" means the passing of required examinations, juries and earning requisite credits and grades, by the students of the Institute.

(u) "discipline" means a branch of educational programmes or courses related to studies and research offered by the Institute under a particular faculty stream;

(v) "evaluation" means analysing the effectiveness and quality of the overall performance of the student and measuring the extent to which students achieve the intended learning outcomes of any course or set of courses together and indicating them on a given scale;

(w) "faculty stream" means an academic unit of the Institute engaged in such academic activities as design education, research and development and consultancy having multiple design disciplines;

(2) Words and expressions used and not defined in these Ordinances but defined in the Act or the Statutes shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Statutes.

(3) If there is any conflict between the words and expressions used or defined in these Ordinances with the Statutes or Act, the corresponding provision of the Statutes of Act shall prevail.

3. **Educational Philosophy of the Institute. –** (1) The curricula structure, syllabus and teaching or learning methodologies or pedagogical practices adopted by the Institute for all teaching programmes shall include a combination of rational, logical and sequential learning process of innovative theory, research and skills with emphasis on hands-on and minds-on approach to perception, analysis, and visualisation of multiple solutions for design problems, live exposure to design projects and field experience, aimed at meeting academic objectives , namely:-

(a) inculcate the ability to think independently and holistically;

(b) innovate and learn through creative exploration and experimentation;

(c) develop sensitivity to and understanding of cultural diversity;

(d) develop felicity in creative problem solving;

(e) integrate opportunities for experiential and exponential learning;

(f) reinforce and integrate design learning with environmental, technological and social policy issues for strategic design intervention in all fields of the economy;

(g) capitalise on the unique strengths in biodiversity, culture and crafts;

(h) generate opportunities for design based research;

(i) provide opportunities for leadership and management in design domain; and

(j) spread the power of design for the benefit of the society;

(k) maintain and sustain ethical standards with academic honesty, integrity, and diversity, and to integrate these core values into pedagogical practices that shall determine actions of the present and the future.

(2) All academic programmes offered by the Institute shall be oriented to incorporate the following namely: -

(a) an interdisciplinary approach to design for transferring culture to viable products and services;

(b) strong skill base through hands-on experience;

(c) exposure to real life professional situations through structured internship and design projects to provide competitive edge to products and services through design process and application of various design disciplines;

(d) awareness of social and ethical dimensions of design;

(e) value-based and socially relevant design, and

(f) global perspectives in design education and practice;

(3) The overall structure of the Institute's academic programmes shall be a combination of:

(a) theory, skills, design projects and field experiences,

(b) stakeholders feedback on industry and market needs,

(c) supported by cutting edge design studios, skill and innovation labs,

(d) the Resource Centre, and such other related infrastructural facilities.

(e) Intellectual resources.

4. **Programmes. –**(1)The Institute shall offer course of study leading to the award of degrees at undergraduate, post graduate or doctoral level or diploma, certificate in various Design disciplines mentioned under heading "Faculty Streams" of National Institute of Design, Haryana Statutes.

(2) These courses may also be conducted in online or hybrid mode as per approval of the Activity Chairperson (Education) and for a full time on campus programme, maximum credits to be earned during an academic year in online mode to be approved by the Senate. The courses as per Programme requirement may also be done from recognized online portals as approved by the Senate.

5. **Duration of Programmes.–** (1) The duration of undergraduate programmes (Bachelor of Design) shall be eight semesters that commences with two semesters common foundation programme followed by six semesters in Faculty Streams or specialised disciplines including courses of sub-discipline, out of which the last semester shall include graduation project.

(2) The maximum duration within which the student is required to complete the study of Bachelor of Design programme will not be more than six years from the year of joining.

(3) The student shall be allowed to take Academic Break only once during the entire period of study, during which no resources of the Institute will be used by the student.

(4) For students admitted in the Institute for Bachelor of Design programme prior to the notification of these Ordinances would have provision for maximum duration of programme as applicable at the time of their admission.

(5) Duration of full-time postgraduate programmes (Master of Design) shall be four semesters in Faculty Streams or specialised disciplines, out of which the last semester shall include graduation project.

(6) The duration and mode for part time postgraduate programme shall be as approved by the Senate and the Governing Council and shall also include the graduation project.

6. **Eligibility for admission to Bachelor of Design Programmes.–** (1) A candidate who has passed Higher Secondary Certificate Examination or equivalent in any stream (Science, Arts, Commerce, Humanities, etc.) from a recognised Board shall be eligible to apply for admission to the Bachelor of Design programmes.

(2) A candidate who appears or has appeared for the qualifying examination and whose results have not been declared at the time of application for admission shall be eligible to apply for admission to the Bachelor of Design programme:

Provided that such candidate shall, if selected, be granted provisional admission and shall be required to submit the result of the qualifying examination on or before the date specified by the Institute, failing which the candidate's admission shall stand cancelled.

7. **Eligibility for admission to Master of Design Programmes.–**

(1)The eligibility criteria to apply for admission to the various Master of Design programmes offered by the Institute shall be Bachelor's Degree or equivalent in the relevant field as stipulated by the Senate and the Institute from time to time.

(2)A candidate who has appeared for the qualifying examination and whose results have not been declared at the time of application for admission to the Master of

Design programme shall also be eligible to apply for admission to the Master of Design programme:

Provided, that such candidate shall, if selected, be granted provisional admission and shall be required to submit the result of the qualifying examination on or before the date as may be specified by the Institute, failing which the candidate's admission shall stand cancelled.

8. Admission notification.–

(1) Admission to the academic programmes shall be notified at the national level through print, electronic media and on the website of the Institute.

(2) The admission notification shall include details of academic programmes, number of seats in each courses of study programme, duration of the programmes, minimum eligibility for admission, age-limits, venue for the admission test centers and such other information.

(3) The Institute shall also make available admissions brochure information for reference of the prospective students, such brochures shall contain all information related to course programme structure, eligibility criteria for admission, reservation policy, allocation of seats under various categories, duration of the programme, fees structure and such other information.

9. Admission test. – (1) Admissions to the programmes offered at undergraduate, post graduate and doctoral program level shall be granted on the basis of merit at the national level admission test to be conducted by the Institute.

(2) The Institute may with the approval of the Governing Council, join any consortium or common entrance examination for the selection of students for the admission through its entrance examination score.

10. Reservation of seats. –The Institute shall follow relevant rules and regulations with respect to reservation of seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, differently-abled candidates, and other special categories of persons as notified by the Central Government from time to time in this regard.

11. Admission to foreign students. –Fifteen percent seats on supernumerary basis in Bachelor of Design, Master of Design and Doctoral Programmes of studies shall be reserved for foreign student:

Provided that foreign students applying for admission to these programmes shall also be required to clear the admission test and be eligible for the admission as per defined criteria established in the Admission Handbook with prior approval of the Senate.

12. Admission committee and admission cell.– (1) The admission committee and the admission cell shall be duly constituted by the Director.

(2) The admission committee shall with the prior approval of the Senate lay down the norms and procedures for the admission tests.

(3) The admission cell shall implement the norm, procedure and criteria referred to in sub-paragraph (2).

13. Enrolment of students.– (1) Every student offered admission to a programme at the Institute shall submit to the academic office of the Institute within the stipulated period, such academic certificates and documents as may be required, failing which their candidature stands cancelled.

(2) Every student offered admission shall pay the tuition and other fees and deposits as notified by the Institute, within the stipulated period, failing which their candidature stands cancelled.

(3) Upon payment of fees and deposits and upon verification and submission of all mandatory documents, the Institute shall provide an Enrolment Number to the student.

(4) The Enrolment Number shall be the permanent reference number in all records of the Institute pertaining to the student concerned.

(5) The date of initial registration for Bachelor of Design, Master of Design or doctoral programme shall normally be the date on which the student formally registers for the respective program upon payment of fees which shall be construed as the date of joining the programme for all purposes.

(6) During the period of candidature, the enrolment of a student may be terminated on disciplinary grounds, in accordance with the disciplinary rules of the Institute.

14. Tuition and other fees and deposits. – The prescribed tuition fees, other fees and deposits, except mess charges, as approved by the Governing Council, shall be payable by all students at the beginning of each academic year or semester as notified by the Institute.

15. Attendance, absence and leave for the students. – (1) A student shall be required to have minimum attendance at all lectures, tutorials, studio work, workshop practice sessions, field work, seminars and such other interfaces as may be determined by the Senate from time to time.

(2) Any leave or absence other than for medical reasons shall require prior approval of the Discipline Lead.

(3) Only such students who fulfill the minimum required attendance including approved leave of absence, if any, shall be eligible to appear for semester end Jury.

16. Student discipline and conduct.–(1) Every student shall observe discipline and maintain decorum both inside and outside the campus and shall not indulge in any activity which may bring disrepute to the Institute.

(2) Every student shall observe the code of conduct stipulated in the Academic Manual/ Student Handbook.

(3) Any act of indiscipline committed by a student shall be dealt with in accordance with the norms and procedure stipulated in the respective manuals or handbook.

17. Academic calendar. –The Activity Chairperson (Education) in consultation with the Deans of the Institute Campuses and the Discipline leads, shall prepare and finalise the academic calendar of teaching and research programmes at the Institute and its campuses prior to beginning of each academic year.

18. The Foundation Programme – (1) The Bachelor of Design programme shall commence with a one year common Foundation Programme.

(2) The Foundation Programme shall provide the necessary direction, stimuli, facilities and experience to foster creativity and design thinking.

(3) Allocation of discipline choice and sub-discipline choice of the student for the B.Des. Courses at the end of the common Foundation Programme shall be based on merit-cum-choice basis, for the number of seats prescribed in each discipline.

19. Maintenance of Student Records – The Registrar Office shall maintain a personal record of every student admitted to the academic programmes at the respective campuses and such personal information shall be kept confidential. The personal file shall contain -

(a) Personal data filled by the student at the time of admission;

(b) Information about parents and local guardian;

(c) medical history and fitness certificate submitted at the time of admission;

(d) all undertakings submitted by the student;

(e) copy of any warning letters or memos etc. issued to the student;

(f) communication with the student or parent or guardian, if any;

(g) copy of all evaluation grade sheets and academic progress reports issued to the students;

(h) record of admission to the hostel including payment of fees; and

(i) record of payment of fees of institute and all such other information relevant to the study and campus life of the students.

20. Conduct of examinations. –(1) The Institute shall have credit based evaluation and assessment system, for the students during and at the end of semester conducted by the Jury as under: -

(a) credits based evaluation system including correlation between credit units, week units and the corresponding study load in terms of hours per week;

(b) credits assigned to each course of study including self-learning credit courses;

(c) credits assigned for co-curricular and extra-curricular activities;

(d) grading system including grading scales;

(e) components of academic evaluation including coursework and jury;

(f) parameters and stages of evaluation and assessment, viz., individual course evaluation, semester- end jury assessment, and Design Project assessment;

(g) pre-requisites governing advancement of a student to the next semester or year; and

(h) such other criteria as may be notified by the Institute;

(2) A student shall be required to fulfill credit and evaluation at individual course level, semester level, annual grade point level and Graduation Project level for successful completion of a programme of study.

(3) The credits and evaluation norms for undergraduate and postgraduate programmes applicable on the date of commencement of these Ordinances shall remain valid and apply for purpose under the Bachelor of Design and Master of Design programmes respectively until the credit and evaluation norms are prepared and notified by the Senate on the recommendation of the Academic Advisory Committee.

21. Award of Bachelor of Design (Under Graduate Degree), Master of Design (Post graduate Degree). – The Institute shall confer Bachelor of Design and Master of Design degrees on the students who have undergone requisite courses of studies and on successful completion of courses at Undergraduate level and Post Graduate level respectively.

22. Bachelor of Design Degree.–For the batch of students who have been assigned a sub-discipline from the second year, Bachelor of Design degree to be awarded with Major in the discipline assigned to the student from second year and with Minor in the sub-discipline assigned to the student from the second year. Apart from Common courses of Foundation

Programme and other common courses from third to seventh semester a student must earn minimum ten credits in a sub-discipline to be awarded the Degree with Minor in that sub-discipline.

23. Graduation Design Project.–Each student shall undertake a Design Project and demonstrate expertise as independent practitioner of design in the last semester of the respective programme.

24. Awards and Scholarship Grants. – Awards and Scholarship Grants for students constituted by the Institute prior to constitution of this Ordinance would continue and subsequently, Awards and Scholarships Grants for students would be constituted with the approval of Senate and subsequent financial approval (if any) of the Governing Council.

25. Grievances Redressal Committee. –(1) The Director shall appoint Academic Grievances Redressal Committee to address grievances relating to academic matters.

(2) The Committee shall comprise at least three members of the faculty to be nominated by the Director.

(3) A faculty against whom a grievance is made shall not be nominated as a member of such Committee.

(4) Any grievance related to academic matters shall first be submitted to the Activity Chairperson (Education), who shall resolve the grievance in consultation with the Discipline lead concerned or the authorities concerned, failing which the grievance shall be referred to the Grievances Redressal Committee.

(5) The Grievances Redressal Committee shall submit its recommendations to the Activity Chairperson- Education.

(6) The recommendations of the Grievances Redressal Process shall be communicated to the student concerned within a month of filing of the grievance.

26. Emergent Cases. – The Director may, in emergent situations for reasons to be recorded in writing take such action on any academic matter, as deemed appropriate and report it at the next meeting of the authority concerned and all such actions shall be brought before the Senate in its next meeting for the approval of the Senate.

RAMNEEK KAUR MAJITHIA, Director

[ADVT.-III/4/Exty./736/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.12.09 12:05:02 +05'30'